प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

1. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आगरा, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद– मैनपुरी एवं आगरा, उत्तर प्रदेश।

दिनांक : 10.3.2023

पत्र संख्या :एस.पी.एम.यू./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2022–23/9472-2

विषय : राज्य स्तरीय भ्रमण दल द्वारा जनपद मैनपुरी एवं आगरा के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि राज्य स्तर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आपके जनपद आगरा की स्वास्थ्य इकाईयो का भ्रमण दिनांक 20 से 25 फरवरी 2023 के मध्य किया गया। भ्रमण दल द्वारा प्रकाश में आये बिन्दुओं के आधार पर भ्रमण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

तत्क्रम में आपसे अपेक्षा है कि उक्त भ्रमण आख्या के अनुसार सुधारात्मक कार्यवाही करते हुये 15 कार्यदिवसों के भीतर कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करे।

संलग्नक– भ्रमण आख्या रिपोर्ट।

भवदीय

Aparna-U

(अपर्णा उपाध्याय)
मिशन निदेशक
तददिनांक

पत्रांक :एस.पी.एम.यू./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2022–23/9472-2 (1)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचनार्थ।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, मैनपुरी एवं आगरा, उत्तर प्रदेश।
4. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आगरा मण्डल, आगरा, उत्तरप्रदेश।
5. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मैनपुरी एवं आगरा,उत्तर प्रदेश।

(डा0 अबु तलहा)
उपमहाप्रबंधक,
डी0एच0एस0

CamScanner

जनपद– मैनपुरी

भ्रमण अवधि– दिनाँक 20.02.2023 से 22.02.2023

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 के पत्र संख्या– SPMU/NHM/M&E/2022-23/2566-2-Dated-19-07-2022 के कम में दिनाँक– 20.02.2023 से 22.02.2023 तक जनपद मैनपुरी की चिकित्सा इकाईयों– जिला महिला चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कुरावली, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सहादतपुर, हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर, ज्योतिखुड़ियां एवं यू0एच0एन0डी0 हिन्दपुरम् का भ्रमण किया गया।

भ्रमण आख्या निम्नवत है:–

राज्य स्तरीय भ्रमण दल के सदस्य –

1. श्री मो0 काशिफ, स्टेट मैनेजर, एफ0पी0एल0एम0आई0एस0, परिवार नियोजन
2. श्री विजय कुमार जलपोटा, मण्डलीय लेखा प्रबन्धक, सिफ्सा/एन0एच0एम0, लखनऊ मण्डल।

मण्डल/जनपद स्तरीय भ्रमण दल के सदस्य –

1. मण्डलीय लेखा प्रबन्धक, आगरा मण्डल।
2. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, मैनपुरी।
3. जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबन्धक, मैनपुरी।
4. जिला एफ0पी0 एवं लॉजिस्टिक मैनेजर, मैनपुरी।
5. जिला एम0एच0 कन्सलटेन्ट, मैनपुरी।

पर्यवेक्षण के दौरान आच्छादित की गई इकाईयॉ

1. जिला महिला चिकित्सालय।
2. जनपदीय ड्रगवेयर हाउस।
3. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कुरावली।
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सहादतपुर।
5. हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर, ज्योतिखुड़ियां।
6. यू0एच0एन0डी0 हिन्दपुरम।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (जि0म0चि0) के साथ बैठक।

जिला महिला चिकित्सालय, मैनपुरी –

- जिला महिला चिकित्सालय, मैनपुरी के द्वार पर चारो तरफ बहुत बडी नाली बनी है जिसको लोहे की एन्गल आदि से ढका नहीं गया है जिससे उसमें आने बाले वाहन नाली में फस जाते है। नाली में प्रयोग किये गये ग्लब्स आदि को फेका गया था तथा नाली में पानी जमा हो जाने के कारण मच्छर एवं गंदगी पायी गयी।
- ईमर्जेन्सी में उपलब्ध स्टाफ नर्स एवं नर्स मेन्टर्स द्वारा उपलब्ध कराये गये रिकार्ड एवं रजिस्टर का निरीक्षण किया गया तथा पायी गयी कमियों को बताया गया जैसे किसी किसी पृष्ठ पर लाइन छोडकर मरीजों का विवरण भरा जा रहा है, सर्विस प्रोवाइडर्स माह के अन्त में विवरण नहीं बनाया गया कि किसने कितनी सेवाए दी है। **उक्त कमियों को दूर करने के सुझाव दिये गये।**
- प्रसव वार्ड का निरीक्षण किया गया वार्ड में भर्ती मरीजों को दी जाने वाली आवश्यक सेवाओं के सम्बन्ध में उपस्थित स्टाफ से जानकारी प्राप्त की गयी भर्ती लाभार्थियों के बेड पर अस्पताल द्वारा प्रदान किये जाने वाले कम्बल इत्यादि की कमी पायी गयी।
- परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अस्पताल में होने वाले परिवार नियोजन दिवस के बारे में स्टाफ से पूछा गया स्टाफ द्वारा अवगत कराया गया कि सप्ताह के तीन दिन सोमवार, गुरूवार एवं षुक्रवार को फिक्सड डे होता है। **फिक्सड डे दिनों को प्रचार–प्रसार करने हेतु दिवार लेखन हेतु सुझाव दिये गये ताकि जन–समुदाय को परिवार नियोजन कार्यक्रमों का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सकें।**
- आई0यू0सी0डी0 रजिस्टर एवं पी0पी0आई0यू0सी0डी0 कार्ड लेबर रूम में उपलब्ध नही पाये गये।
- लेबर रूम, काउन्सलर रूम, टीकाकरण रूम एवं ओ0पी0डी0 रूम में परिवार नियोजन स्टाम्प उपलब्ध नही पायी गयी, **जिसे बनवाकर सम्बन्धित को उपलब्ध कराकर उपयोग करने हेतु निर्देशित किया गया।**

CamScanner

- स्टोर में चीफ फार्मासिस्ट के साथ स्टोर का निरीक्षण किया गया। जिसमें आवश्यक दवायें की उपलब्धता पायी गयी दवा स्टाक रजिस्टर बना हुआ है तथा उसमें प्राप्त एवं उपयोग की गयी दवाईयों का लेखन किया जा रहा है। **स्टोर रूम को FEFO विधि द्वारा व्यवस्थित करने हेतु फार्मासिस्ट को निर्देशित किया गया।**
- अस्पताल में सिर्फ एक ही कण्डोम बॉक्स लगा पाया गया, कण्डोम बॉक्स की संख्या बढ़ाकर अस्पताल के अन्य स्थानों पर लगाने हेतु सम्बन्धित को कहा गया ताकि जन–मानस को परिवार नियोजन कार्यक्रम का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।
- लेबर रूम में Ing. - Labetalol, Syrup-Nivirapine, Tablets- Alpha methyldopa उपलब्ध नही पायी गयी। जिस हेतु सम्बन्धित को उपलब्ध कराने हेतु कहा गया।
- बाल रोग विभाग में बच्चों को दिये जाने वाले Syrup-IFA उपलब्ध नही था जिस हेतु सम्बन्धित को जल्द से जल्द Syrup-IFA मांग करने हेतु कहा गया।
- जनपद स्तर पर काउन्सलिंग रजिस्टर, ए0एन0एम0 इंटीग्रटेड रजिस्टर, स्टरलाइजेशन बुकलेट आई0यू0सी0डी0 / पी0पी0आई0यू0सी0डी0, एम0पी0ए0 स्टरलाइजेशन, छाया रजिस्टर एवं एम0पी0ए0 कार्ड, आई0यू0सी0डी0 कार्ड, आशा प्री रजिस्ट्रेशन नसबन्दी स्लीप प्रिन्ट होकर तक प्राप्त नही हुए है।
- जनपद स्तर पर सुरक्षित गर्भपात सेवाआ कार्यक्रम के अन्तर्गत आर0एम0पी0 बुकलेट, कन्सेन्ट फार्म बुकलेट एम0टी0पी0 रिपोर्टिंग फार्मेट, एडमिशन, इवैक्यूवेशन, फार्म–डी, फार्म–ई रजिस्टर एवं एम0एम0ए0 कार्ड अभी तक प्रिन्ट होकर प्राप्त नही हुए है।

<u>वित्तीय अभिलेख –</u>

वित्तीय अभिलेखों का रख रखाव श्री प्रदीप झाँ, एकाउन्टेन्ट, एन0एच0एम0 द्वारा किया जाता है। वित्तीय अभिलेखों का अवलोकन किया गया जिसके मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है–

- वित्तीय वर्ष 2022–23 की कैशबुक बनी है परन्तु सभी प्रविष्टियों को अंकित नही किया गया है जबकि फैम्स पोर्टल पर प्रविष्टियों को अंकित किया गया है। कैशबुक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा सत्यापित नही पायी गयी।
- पी0एफ0एम0एस0 रजिस्टर बना है परन्तु अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के हस्ताक्षर पी0एफ0एम0एस0 रजिस्टर पर नही पाये गयें।
- पी0एफ0एम0एस0 रजिस्टर के अनुसार भुगतान किये गये बिलों पर नम्बर को अंकित नही किया गया है।
- जे0एस0एस0के0 कार्यक्रम के अन्तर्गत जे0एस0वाई0 लाभार्थियों को निःशुल्क भोजन सुविधा मैसर्स रॉयल्स स्वीट हाउस एण्ड रेस्टोरेंट, मैनपुरी द्वारा प्रदान की जा रही है। पूछने पर स्टाफ द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म का चयन जिला मुख्यालय द्वारा टेण्डर के माध्यम से किया गया है जिसके क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी, मैनपुरी के पत्र क्रमांक संख्या 263–7 दिनाँक 25 जनवरी 2020 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त फर्म से जे0एस0वाई0 लाभार्थियों को निःशुल्क भोजन सुविधा 01 फरवरी 2020 से प्रदान की जायेगी। चूँकि फर्म के चयन को लगभग तीन वर्ष हो चुके है इस सम्बन्ध में स्टाफ से जानकारी प्राप्त की गयी कि क्या फर्म का नवीनीनकरण मुख्यालय द्वारा किया गया गया है इस सम्बन्ध कोई भी सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त नही हो सका। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी मैनपुरी से वार्ता की गयी तथा नई फर्म के चयन अथवा वर्तमान फर्म के नवीनीकरण प्रस्ताव जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक दिनाँक 30.03.2022 को प्रस्तुत किया गया था जिसकी प्रकिया चल रही है, इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, मैनपुरी को फर्म के निर्णायक शीघ्र कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया।
- अस्पताल में उपलब्ध डाइट रजिस्टर का निरीक्षण करने पर पाया गया उसमें लाभार्थी के भर्ती होनें का समय तथा अस्पताल से छुट्टी किये जाने का समय अंकित नही किया जा रहा है। न ही अधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से

CamScanner

वार्ता कर डाइट रजिस्टर में समय को अंकित कराने हेतु कहा गया। जिस सम्बन्ध में मुख्य चिकिसा अधीक्षक द्वारा तुरन्त कार्यवाही कर समय को अंकित कराया जाना सुनिश्चित किया गया ताकि लाभार्थी के डाइट संख्या का सही सही भुगतान सम्बन्धित फर्म को किया जा सके।

- वित्तीय वर्ष 2021–22 माह मार्च 2022 का बैंक समाधान विवरण बना हुआ है परन्तु वित्तीय वर्ष 2022–23 का बैंक समाधान विवरण नही बनाया जा रहा है।
- कंज्यूमेंबिल स्टाक रजिस्टर एवं फिक्सड असेस्ट् रजिस्टर बना हुआ है जिसको मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा सत्यापित भी किया गया है।
- रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह जनवरी 2023 तक प्राप्त रू0 5 लाख लिमिट के सापेक्ष रू0 3.48 लाख का व्यय किया गया है। बैठक कार्यवृत्त अवलोकन हेतु प्रस्तुत नही किये गये। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित स्टाफ के अवकाश पर चले जाने के कारण बैठक कार्यवृत्त रजिस्टर को अवलोकन नही कराया जा सकता, उन्होने बताया कि कार्यकारी समिति की बैठक की जा रही है तथा समिति अनुमोदन के उपरान्त व्यय किया गया है।
- बायो मेडीकल वेस्ट की सेवाऐं मैसर्स जे0आर0आर0 वेस्ट मैनेजमेंट प्रा0लि0, आगरा द्वारा दी जा रही है जिसकी सेवाओं का विस्तार मिशन निदेशक महोदया के पत्रांक संख्या 6642 दिनाँक 09 दिसम्बर 2022 के द्वारा फरवरी 2023 तक किया गया है।
- जिला महिला चिकित्साल द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में माह जनवरी 2023 का कुल प्राप्त लिमिट रू0 94,20,000.00 के सापेक्ष रू0 93,58,919.00 का उपयोग किया गया है तथा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पत्र कमांक संख्या 953 दिनाँक 01.02.2023 द्वारा रू0 40 लाख लिमिट प्रेषित किये जाने हेतु जिला मुख्यालय से मांग की गयी है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कुरावली –

- अस्पताल में कण्डोम बॉक्स नही लगा पाया गया। दिशा निर्देशानुसार कण्डोम बॉक्स अस्पताल में लगाने हेतु सम्बन्धित को कहा गया ताकि जन–मानस को परिवार नियोजन कार्यक्रम का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।
- परिवार नियोजन काउन्सलर के पास काउन्सलिंग रजिस्टर उपलब्ध नही है।
- सामु0स्वा0केन्द्र के स्टोर में परिवार नियोजन सामग्रियों में एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 पोर्टल पर उपलब्ध स्टाक एवं मैनुअल रजिस्टर अनुसार उपलब्ध स्टाक में भिन्नता पायी गयी। जिस हेतु फार्मासिस्ट को **स्टोर रूम को FEFO विधि एवं स्टाक रजिस्टर करने के साथ साथ पोर्टल पर उपलब्ध स्टाक के मिलान हेतु जल्द से जल्द कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।**
- सामु0स्वा0केन्द्र पर उपलब्ध आशा संगिनीयों को स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत मिलाने वाले लाभार्थियों क्षतिपूर्ति एवं प्रतिपूर्ति धनराशि की जानकारी का अभाव पाया गया है।
- लेबर रूम में Ing. - Oxytocin, Magnesium sulphate, Syrup-Nivirapine, Tablets- Alpha methyldopa, Nifedipine उपलब्ध नही पायी गयी। जिस हेतु सम्बन्धित को उपलब्ध कराने हेतु कहा गया।

वित्तीय अभिलेख –

वित्तीय अभिलेखों का रख रखाव श्री मोहित भार्गव, ब्लाक लेखा प्रबन्धक, एन0एच0एम0 द्वारा किया जाता है। वित्तीय अभिलेखों का अवलोकन किया गया जिसके मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है–

- वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 कैशबुक नही पायी गयी।
- पी0एफ0एम0एस0 रजिस्टर बना है परन्तु भुगतान हेतु जारी की गयी सभी पी0एफ0एम0एस0 एडवाइज का अंकन रजिस्टर पर नही किया गया है और ना ही हस्ताक्षरियों द्वारा हस्ताक्षर किये

CamScanner

गये। अधिकांश पी0एफ0एम0एस0 एडवाइज जो भुगतान हेतु जारी की गयी उसका अंकन भी फैम्स पर नही किया गया है।

- बिल भुगतान हेतु जारी की गयी एडवाइज पर तिथिवार नम्बर अंकित नही किये गये है।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 में जो भी आयकर कटौती की गयी है, उसको ससमय जमा नही किया जा रहा है।
- वर्तमान मे रोगी कल्याण समिति का नवीनीकरण नही किया गया है। अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि नवीनीकरण प्रकिया चल रही है। समय से समिति का नवीनीकरण ना कराया जाना कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है। **जिला मुख्यालय से वार्ता कर शीघ्र समिति के नवीनीकरण कराये जाने हेतु कहा गया।**

जिला स्वास्थ्य समिति, मैनपुरी –

वित्तीय अभिलेख –

वित्तीय अभिलेखों का रख रखाव श्री अनुराग त्रिपाठी, डी0डी0एम0 एवं श्री प्रदीप, जिला लेखा प्रबन्धक (अतिरिक्त प्रभार) एन0एच0एम0 द्वारा किया जाता है। वित्तीय अभिलेखों का अवलोकन किया गया जिसके मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है–

- सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अन्तर्गत जनपद एवं ब्लाक पर वाहन सुविधा में मैसर्स रॉयल टूर एण्ड ट्रेवल, इटावा द्वारा प्रदान की जा रही है। वर्तमान मे अनुबन्ध अवधि समाप्त हो गयी है। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जिला स्वास्थ्य समिति के सम्मुख नई फर्म के चयन अथवा वर्तमान फर्म नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। नवीनीकरण/चयन प्रक्रिया चल रही है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा सहायक सम्भागिय परिवहन अधिकारी, मैनपुरी के सहयोग से इसे पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी के पत्र संख्या 1436–2 दिनाँक 28 जनवरी 2023 जोकि सहायक सम्भागिय परिवहन अधिकारी, मैनपुरी को सम्बोधित है, शीध्र कार्यवाही पूर्ण कराये जाने हेतु कहा गया है।
- जे0एस0एस0के कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों को निःशुल्क भोजन सुविधा मैसर्स रॉयल्स स्वीट हाउस एण्ड रेस्टोरेंट, मैनपुरी द्वारा प्रदान की जा रही है। नई फर्म के चयन/नवीनीकरण की प्रक्रिया जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से प्रक्रियाधीन है जिसे शीघ्र पूर्ण करने हेतु कहा गया।
- वित्तीय वर्ष 2022–23 की कैशबुक नही बनी है। जिसे शीध्र बनाये जाने हेतु कहा गया।
- जिला लेखा प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया कि आशा इन्सेटिंव का भुगतान 1 ब्लाक को छोड़कर शेष 8 ब्लाक का माह दिसम्बर 2022 तक कर दिया गया है।
- डी0सी0पी0एम0 द्वारा अगवत कराया गया कि सी0एच0ओ0 के पी0बी0आई0 भुगतान हेतु रू0 66.68 लाख एवं आशा इन्सेटिंव भुगतान हेतु रू0 81.19 लाख की पत्रावली प्रक्रिया में है। जिसका भुगतान दो दिन में किये जाने हेतु कहा गया।
- आयकर अधिनियम के द्वारा 12ए के अन्तर्गत डी0एच0एस0 का पंजीकरण अभी तक नही किया गया है। जिसे शीघ्र कराने हेतु कहा गया।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सहादतपुर–

- प्राथ0स्वा0केन्द्र पर मेडिकल आफिसर, स्टाफ नर्स, लैबटेक्नीशिन की तैनाती नही है। डा0 रिचा, आयुष के द्वारा ओ0पी0डी0 की जा रही है। लेकिन आयुष से सम्बन्धित को भी औषधि उपलब्ध नही थी। फार्मासिस्ट द्वारा एलोपैथिक दवाईयाँ ही वितरित की जा रही है।
- प्राथ0स्वा0केन्द्र पर आवश्यक जाचें (एच0बी0, एच0आई0वी0, टाईफाइड, यूरिन प्रेगनेंसी, मलेरिया, डेंगू इत्यादि) की सुविधा उपलब्ध नही है।
- प्राथ0स्वा0केन्द्र पर रिपोर्टिंग हेतु डेस्कटॉप/लेपटॉप नही पाया गया तथा इन्टरनेट की भी सुविधा नही थी।
- कण्डोम बॉक्स नही लगा पाया गया।

CamScanner

जनपदीय ड्रगवेयर हाउस–

- जनपदीय ड्रगवेयर हाउस में सभी परिवार नियोजन सामग्रियों में एफ0पी0एल0एम0आई0एस0 पोर्टल पर उपलब्ध स्टाक एवं मैनुअल रजिस्टर अनुसार उपलब्ध स्टाक में भिन्नता पायी गयी। स्टाक रजिस्टर पिछले तीन से छः माह से अपडेट नही किया गया है। जिस हेतु फार्मासिस्ट को **स्टोर रूम को FEFO विधि एवं स्टाक रजिस्टर करने के साथ साथ पोर्टल पर उपलब्ध स्टाक के मिलान हेतु जल्द से जल्द कार्य करने हेतु कहा गया।**
- स्टोर रूम में साफ–सफाई का अभाव था तथा स्टोर रूम में समान अव्यवस्थित तरीके से रखा गया था।

हैल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर ज्योतिखुड़ियां –

- हैल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की बिल्डिंग मानकानुसार नही थी।
- हैल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर बिजली एवं पानी की व्यवस्था नही पायी गयी।
- हैल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर से लगा हुआ सबसेन्टर जीर्ण–शीर्ण अवस्था में पाया गया।
- स्वास्थ्य इकाई पर सी–बैक फार्म उपलब्ध नही थे।
- हैल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर सभी आवश्यक जाचें नही की जा रही है।
- हैल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के अन्तर्गत 6 आशाऐं कार्यरत है परन्तु सी0एच0ओ0 द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि हेतु प्रयास नही किये जा रहे है।
- हैल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर शौचालय क्रियाशील नही है।
- हैल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर आई0ई0सी0 का अभाव था।
- हैल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर कण्डोम, ओ0सी0पी0, ई0सी0पी0, अन्तरा, छाया की सुविधा उपलब्ध है लेकिन इकाई पर कण्डोम बॉक्स उपलब्ध नही है।

यू0एच0एन0डी0 सत्र (सुनिता आंगवाड़ी सेन्टर) हिन्दपुरम्–

- भ्रमण के समय श्रीमती पूनम राजपूत, ए0एन0एम0 (संविदा), श्रीमती मनीषा, आंगनवाड़ी, श्रीमती सुनिता, आंगनवाड़ी कार्यकत्री उपस्थित थी।
- सत्र के दौरान आशा उपस्थित नही थी।
- सत्र में आवश्यक जाचों की सुविधा उपलब्ध पायी गयी।
- भ्रमण के समय में दो गर्भवती जाचें एवं चार बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका था।
- ड्यू लिस्ट की उपलब्धता पायी गयी।
- आवश्यक दवाऐं एवं परिवार नियोजन सामग्री की उपलब्धता पायी गयी।
- यू0एच0एन0डी0 सत्र एक छोटे कमरे में संचालित किया जा रहा था, जिसके कारण लाभार्थियों को सुविधा देने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था।

मुख्य चिकित्साधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (जि0म0चि0) के साथ की गयी बैठक के मुख्य बिन्दु –

➢ **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय –**

- मुख्य द्वार पर बनी नाली पर शीघ्र ही लोहे के एन्गल लगवाकर ढ़कने एवं नालियों की साफ–सफाई तथा गन्दे पानी की निकासी हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने हेतु कहा गया है
- जिसे तत्काल लाभार्थियों को कम्बल उपलब्ध कराने हेतु कहा गया।
- सम्बन्धित को आई0यू0सी0डी0 रजिस्टर एवं पी0पी0आई0यू0सी0डी0 कार्ड उपलब्ध कराने हेतु कहा गया।
- लेबर रूम में आवश्यक दवाओं, इंजेक्शन एवं बच्चों को दिये जाने वाले सिरप की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।
- अपूर्ण पायी गयी नसबन्दी केस शीट को पूर्ण कर सर्जन के हस्ताक्षर सुनिश्चित किये जाय।
- परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत काउन्सलिंग स्टैम्प बनवाकर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा काउन्सर, ए0एन0एम0, लेडी मेडिकल आफिसर को वितरित किया गया।

CS CamScanner

➢ **<u>मुख्य चिकित्साधिकरी –</u>**

- परिवार नियोजन से सम्बन्धित समस्त सामग्री एवं प्रिन्टेड रजिस्टर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।
- जनपदीय ड्रगवेयर हाउस में स्टाक में पायी गयी भिन्नता को सही कराकर स्टोर रूम को FEFO विधि द्वारा व्यवस्थित करने हेतु फार्मासिस्ट को निर्देशित किया जायें।
- अनुश्रवण एवं मूल्याकन तथा जे0एस0एस0के0 कार्यक्रम के अन्तर्गत टेण्डर प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जायें।
- डाइट रजिस्टर पर लाभार्थी से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी जैसे लाभार्थी का नाम, प्रसव की तिथि एवं समय, अस्पताल से छुट्टी की तिथि एवं समय, लाभार्थी को दी गई डाइट की संख्या इत्यादि पूर्णरूप से भरी जायें।
- ई0पी0एफ0 कटोती की धनराशि कों नियमानुसार प्रतिमाह ससमय जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायें।
- देय बिलो के भुगतान पर नियमानुसार आयकर एवं जी0एस0टी0 कटोती किया जाना सुनिश्चित किया जायें।
- प्रतिमाह की गई आयकर एवं जी0एस0टी0 कटोती कों नियमानुसार ससमय जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायें।
- आयकर अधिनियम की धारा 12ए के अन्तर्गत डी0एच0एस0 का पंजीकरण शीघ्र किया जाना सुनिश्चित किया जायें।
- फैम एवं पी0एफ0एम0एस0 दोनो पोर्टल पर बुक किये गये व्ययो के अन्तर का मिलान समय समय पर अनिवार्य रूप से किया जायें।

उपरोक्तानुसार मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई द्वारा उपरोक्त सभी गैप्स को शीघ्र दूर करने हेतु आश्वासन दिया गया।

(वी0के0 जलपोटा)
मण्डलीय लेखा प्रबन्धक
सिफ्सा / एन0एच0एम0, लखनऊ मण्डल।

(मो0 काशिफ)
स्टेट मैनेजर
एफ0पी0एल0एम0आई0एस0
लखनऊ।

CamScanner